



क्र0 720/स्था./2025

दुर्ग, दिनांक : 10/07/2025

महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए कॉलेज कैटीन हेतु निविदा सूचना

महाविद्यालय परिसर में कॉलेज कैटीन शुरू करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों/निविदाकारों से निर्धारित प्रपत्र में निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. इच्छुक निविदाकार 100/- का निविदा शुल्क जमाकर निविदा फार्म कार्यालयीन समय पर सायं 05:00 बजे तक कार्यालय प्राचार्य शासकीय डॉ. वा. वा. पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग से प्राप्त कर सकते हैं।
2. निविदाकार दिनांक 26/07/2025 दोपहर 03:00 बजे तक निविदायें प्रस्तुत कर सकते हैं।
3. निविदा के साथ 1000/- की धरोहर राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की डीमांड ड्रफ्ट अथवा नगदी के रूप में प्राचार्य शासकीय डॉ. वा. वा. पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग के नाम से संलग्न /जमा करना होगा। निविदा अस्वीकृत होने पर धरोहर की राशि निविदाकार की राशि वापिस कर दी जायेगी।
4. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्राचार्य का होगा एवं इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार की आवश्यकता नहीं है।

नियम एवं शर्तें :-

1. रजिस्टर्ड डॉक/स्पीड पोस्ट अथवा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त किये निविदा ही स्वीकार किये जायेंगे।
2. धरोहर की राशि के बिना जमा की गई निविदा/विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. सफल निविदाकार से अनुबंध पत्र पर अनुबंध किया जायेगा।
4. अनुबंध प्रारंभ में 01 वर्ष के लिये होगा जिसे प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से 03 वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
5. कॉलेज कैटीन हेतु न्यूनतम 2000/- मासिक किराया निर्धारित किया गया है। इस राशि से नीचे की निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी तथा इससे अधिक की निविदाओं में से जिस निविदाकार की राशि सबसे अधिक होगी उसकी निविदा को अनुबंध हेतु चुना जायेगा।
6. मासिक किराया के अतिरिक्त विद्युत बिल अलग से देय होगा।
7. कैटीन में उपलब्ध होने वाली खाद्य सामग्री हेतु दर की राशि सूचीबद्ध करना एवं उसका प्रदर्शन अनिवार्य होगा।

8. कैंटीन में उपलब्ध होने वाली खाद्य सामग्री दरें किसी भी शर्त पर मार्केट दर या MRP से अधिक नहीं होगी।
9. प्राधिकृत अधिकारी के अनुमति बिना कार्यालयीन दिवस में कैंटीन बंद करने की अनुमति नहीं होगी।
10. कैंटीन के कारण कॉलेज परिसर में गंदगी / कूड़ा न हो इसकी जवाबदारी एजेंसी की होगी।
11. कैंटीन में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों को रखने या उनकी बिक्री की अनुमति नहीं होगी शिकायत प्राप्त होने पर प्रति प्रकरण 500 रु. की पेनाल्टी अथवा अनुबंध समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
12. निविदा पत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 1. रजिस्ट्रेशन/अनुबंध प्रमाण पत्र (शॉप)
 2. पेनकार्ड।
 3. रजिस्ट्रेशन/सर्टिफिकेट (खाद्य विभाग)
13. जाँच उपरान्त गुणवत्ता व सफाई में कमी पाये जाने पर निम्न प्रकार से पेनाल्टी वसूली जायेगी।

खराब गुणवत्ता - 5000/-

गंदगी फैलाना - 5000/-


 10/7/25
PRINCIPAL
 गो. वि. व. प. पाठशाला
 शासकीय जे. ए. कॉलेज, दुर्ग (छ.ग.)
 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

// निविदा आवेदन पत्र का प्रारूप //

प्रति,

प्राचार्य,

शासकीय डॉ. वा. वा. पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जिला-दुर्ग (छ.ग.)

महोदय,

महाविद्यालय परिसर में कॉलेज कैटीन हेतु निविदा आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1. आवेदक का नाम एवं पता :-
2. रजिस्ट्रेशन नम्बर :-
3. रजिस्ट्रेशन/सर्टिफिकेट (खाद्य विभाग) नं. :-
4. पेन नं. :-
5. कार्य अनुभव :-
6. धरोहर राशि की बैंक डी.डी. क्रमांक
7. प्रस्तुत निविदा की दर :-
रूपये अंकों में
शब्दों में

मैंने निविदा की सभी शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा सभी शर्तें मुझे स्वीकार हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व नाम